न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

अपील प्रार्थना पत्र संख्या :– 06/2019 **दायर तारीख :–** 19-09-2019

1. विक्रम पुत्र रामप्रसाद जाति गुर्जर निवासी जादू का बास तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— अपीलार्थी

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत छीतौली पंचायत समिति विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. पटवारी पटवार हल्का छीतौली तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
3. सीताराम पुत्र रामप्रसाद } जाति गुर्जर निवासी जादू का बास तहसील
4. धर्मराज पुत्र रामप्रसाद } विराटनगर जिला जयपुर राज0।
5. पटवारी हल्का छीतौली तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
6. उपपंजीयक विराटनगर तहसील जिला जयपुर राज0।
7. राजस्थान विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

—प्रत्यार्थीगण

अपील विरूद्व नामान्तरण संख्या 89 दिनांक 20.09.2001

निर्णय ग्राम पंचायत छीतौली पंचायत समिति विराटनगर

उपस्थित : श्री सुभाष चंद गुर्जर, अधिवक्ता अपीलार्थी
एकपक्षीय कार्यवाही प्रत्यार्थीगण संख्या 1, 3, 4
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 06.01.2021

1. अपीलार्थी ने अपील प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी एवं प्रत्यार्थी संख्या 3 व 4 आपस में सगे भाई है, तीनों भाईयो ने हाल खसरा नंबर 167/0.22, 168/0.77, 169/0.08, 170/0.16, 171/0.11 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.34 हैक्टेयर को पूर्व खातेदार मलखान सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बहरमपुर तन छीतौली तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज. के हक हिस्से व खातेदारी की भूमि को दिनांक 13.08.2001 को जरिये विक्रय पत्र खरीद किया था, वरवक्त विक्रय पत्र तस्दीक अपीलार्थी नाबालिग व्यक्ति था, जो उसके पिता रामप्रसाद दंरक्षमता में उक्त विक्रय पत्र तस्दीक करवाया गया था, जो कि आज अपीलार्थी पूर्ण बालिग आयु पूर्ण कर चुका है। यह है कि प्रत्यार्थी संख्या 3 व 4 ने जो उस वक्त समझदार व्यक्ति थे, ने पटवारी हल्का छीतौली से मिलकर खाता खुलवाने का निवेदन किया उक्त विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत छीतौली व पटवारी हल्का छीतौली ने मिलकर उक्त नामान्तकरण प्रत्यार्थी संख्या 3 व 4 के हक में ही दर्ज कर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

दिया। यह है कि प्रत्यार्थी संख्या 1 व 2 मिलकर बिना विधि पूर्वक जांच किए ही व अपीलार्थी से युक्ति युक्त सुनवाई का अवसर नहीं देकर अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 13.08.2001 की अनदेखी करते हुए अपीलार्थी को बिना सूने ही एकपक्षीय निर्णय ग्राम पंचायत छीतौली ने दिनांक 20.09.2001 को पारित कर दिया, जो कि उक्त निर्णय विधि विरूद्व जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय हैं। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने मनमर्जी से बिना तथ्यों की जांच किए निर्णय नामान्तकरण किया है, जिसकी तस्दीक के वक्त अपीलार्थी को कोई सुनवाई करने का लिखित या मौखिक नोटिस नहीं दिया ना ही अपीलार्थी के पक्ष में तस्दीक विक्रय पत्र को देखे बिना उनके पीछे से निर्णय दिया गया है जो अहम कानूनी भूल की है जो निरस्तनीय है। यह है कि प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 89 ग्राम बहरमपुर पटवार हल्का छीतौली दिनांक 20.09.2001 को भरा गया है। अतः निवेदन है कि नामान्तकरण संख्या 89 दिनांक 20.09.2001 ग्राम बहरमपुर पटवार हल्का छीतौली तहसील विराटनगर के नामान्तकरण को शून्य फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत छीतौली अथवा तहसीलदार विराटनगर को प्रतिप्रेषित कर नये सिरे से विक्रय पत्र के आधार पर अपीलार्थी एवं प्रत्यार्थी संख्या 3 व 4 के हक में नामान्तकरण भरा जाने की आज्ञा प्रदान करें।

2. अपील प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रत्यार्थीगण संख्या 1, 3, 4 को सम्यक तामील हुई है तथा बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. अपीलार्थी ने अपनी अपील प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फोटो प्रति विक्रय पत्र, प्रमाणित प्रति नामान्तकरण संख्या 89 दिनांक 12.09.2001, नकल जमाबंदी खाता संख्या 102, 103 ग्रम बहरमपुर संवत् 2065–2068, नकल जमाबंदी खाता संख्या 95, 96 ग्रम बहरमपुर संवत् 2061–2064, नकल जमाबंदी खाता संख्या 41 ग्रम बहरमपुर संवत् 2057–2060, नकल जमाबंदी खाता संख्या 111 ग्रम बहरमपुर संवत् 2073–2076, अपीलार्थी की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका, अपीलार्थी के आधार कार्ड आदि पेश किये।
4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। प्रकरण में दस्तोवजी साक्ष्य के रूप में पेश रजिस्ट्री अनुसार अपीलार्थी एवं प्रत्यार्थी संख्या 3 व 4 ने शामलाती रूप से खसरा नंबर 167/0.22, 168/0.77, 169/0.08, 170/0.16, 171/0.11 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.34 हैक्टेयर को पूर्व खातेदार मलखान सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत से क्रय किया था, उस समय अपीलार्थी एवं प्रत्यार्थी 3 व 4 नाबालिग थे। तथा नामान्तकरण संख्या 89 को खोले गए नामान्तकरण में अपीलार्थी को ध्यान में नहीं रखते हुए खसरा

कार्यालय–उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

नंबर 168/0.77, 170/0.16 हैक्टेयर की खातेदारी खाता संख्या 96 में एवं खसरा नंबर 167/0.22, 169/0.08, 171/0.11 हैक्टेयर की खातेदारी खाता संख्या 95 में प्रत्यार्थी संख्या 3 व 4 के नाम ही नामान्तकरण की कार्यवाही की गई, जबकि उक्त क्रय शुदा भूमि की रजिस्ट्री में क्रेता के रूप में अपीलार्थी का नाम भी दर्ज है। नामान्तकरण उपरान्त आज तक भी उक्त क्रय शुदा भूमि की खातेदारी प्रत्यार्थी संख्या 3 व 4 के नाम ही दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही है। पत्रावली में पेश रजिस्ट्री के अवलोकन उपरान्त यह तथ्य साबित होता है कि विवाद ग्रस्त आराजी के क्रय में अपीलार्थी भी क्रेता के रूप दर्ज है, जिससे विवाद ग्रस्त आराजी की खातेदारी में अपीलार्थी भी अधिकारी हैं। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

6. अपीलार्थी ने अपने अपील प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः अपीलार्थी की अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अपीलार्थी की अपील अन्दर मियाद मानते हुए धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार की जाती है। तथा नामान्तकरण संख्या 89 दिनांक 20.09.2001 को निरस्त किया जाता है। तथा तहसीलदार विराटनगर को पत्रावली रिमांड कर निर्देशित किया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनकर एवं जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)